


392



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2014 जिला-मंदसौर

R. 834-2114

श्री. क. क. देविवर पं.

द्वारा आज दि. 7-3-14 को

प्रस्तुत

क. क. देविवर
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. कमलकिशोर पुत्र केसरीमलजी सोनी,
2. श्रीमती रामुबाई पत्नि स्व.कन्हैयालालजी सोनी,
3. गोपाल पुत्र स्व.कन्हैयालालजी सोनी निवासीगण सराफा बाजार, जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.)
4. श्रीमती निर्मलाबाई पत्नि अवंतीलालजी सोनी, निवासी खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.)
5. श्रीमती चन्द्रकांताबाई पत्नि ओमप्रकाशजी सोनी, निवासी कालनीनगर, इन्दौर (म.प्र.)
6. श्रीमती शकुन्तलाबाई पत्नि यशवंतजी सोनी, निवासी- सराफा बाजार, रतलाम (म.प्र.)

— आवेदकगण

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा - कलेक्टर,
जिला रतलाम (म.प्र.)

— अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार जावरा, जिला रतलाम द्वारा प्रकरण क्रमांक 51/
अ-6/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2014 के विरुद्ध मध्य
प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर
न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम बन्नाखेड़ा, तहसील जावरा, जिला रतलाम में स्थित भूमि सर्वे
क्रमांक 118 रकवा 3 बीसवा व सर्वे क्रमांक 119 रकवा 5 बीघा 6 बीसवा,
सर्वे क्रमांक 120 रकवा 3 बीघा 6 बीसवा कुल किता 3 कुल रकवा 8 बीघा


क. क. देविवर
7-3-14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-834-एक/14

जिला - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-11-18 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	